द्रुतगामी डाक/SPEED POST

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
पश्चिम क्षेत्र मुख्यालय
WESTERN REGION HQRS.

(केवल ऊँचाई के क्लिअरंस् के लिए अनापत्ति प्रमाण - पत्र)
(NOC for Height Clearance Only) **NOC**

पत्र संख्या : बीटी-1/एन.ओ.सी.सी/सि एस/मुं/10/625/1026-29 दिनांक : **07/04/2011.**

सेवा में

Shreepati Investment (Garden),
Mr. R.R.Chaturvedi, Shreepati Arcade,
4th Floor, Office Premises No.401/501,
A.K.Marg, Nana Chowk, Mumbai -36.

अनापत्तिप्रमाण पत्र सेल
पश्चिमी क्षेत्र केस न. मुं/**10/625.**

विषयःप्रस्तावित भवन निर्माण/चिमनी के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना।(केस न .मुं/**10/625.**)

उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक **25/03/2011** के पत्र संख्या के संदर्भ में ।

इस कार्यालय को **Mr. Rajendra R. Chaturvedi,** जिन्हे इस पत्र मे आगे आवेदक कहा गया है,द्वारा (स्थान संख्या.) **C.S. No. 94, 97, 98, 99, 1/97,1A/97, 2/97, 3/97, 204/74, 198/74 & 199/74 at Dr.Babasaheb Ambedkar Road, Parel Sewree Division in F/South Ward** पर प्रस्तावित भवन **169.106** मीटर **(One Hundred Sixty Nine Deci. One Zero Six)** धरातल के उपर (**Above Ground Level**) ऊँचाई तक का निर्माण करने के लिये कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि प्रस्तावित भवन / संरचना के निर्माण पूरा होने पर संरचना ऊँचाई **169.106** मीटर (**Above Ground Level**) धरातल के उपर + **5.544** मीटर स्थल उत्थापन **(Site Elevation) = 174.65** मीटर माध्य समुद्रतल **(A.M.S.L.)** से अधिक न हो ।**

यह '' अनापत्ति प्रमाणपत्र '' इस स्पष्ट धारणा पर जारी किया जा रहा है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए स्थल उत्थापन समानीत तल (माध्य समुद्रतल से उपर) अर्थात **5.544** मीटर प्रस्तावित भवन / संरचना का अपेक्षित स्थल तथा ए.आर.पी. / धाव पथ के सिरों से इसकी दूरी और दिक्कोन सही दिए गए है । यदि जाँच के बाद किसी अवस्था में यह सिध्द हो जाए कि उक्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त आकडों से भिन्न है और इसके ,द्वारा विमान परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है, तो जिस संरचना के जिस भाग के लिए यह अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है उसे अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, के आदेशानुसार आवेदक की लागत पर गिरा दिया जाएगा । अतः आवेदकों को उनके हित में यह सलाह दी जाती है कि वे प्रस्तावित निर्माण प्रारंभ करने से पहले स्थल के लिए प्रस्तुत उत्थापन और अन्य आंकडों का सत्यापन कर लें ।

इस अनापत्ति प्रमाणपत्र का यह निर्गमन भारतीय विमान अधिनियम 1934 की धारा 9 अ के उपबन्धों और इनके अन्तर्गत समय-समय पर जारी की गई अन्य अधिसूचनाओं के अधीन भी होगा और जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आवेदक को इस अनापत्ति प्रमाणपत्र के अनुसार प्राधिकृत की जाने-वाली पूर्ण संरचना भवन अथवा इसके किसी भाग को गिराने के लिए भी कहा जा सकता है ।

उपर्युक्त अनुच्छेद में उल्लिखित उँचाई से उपर कोई भी रेडियो, टी.वी.ॲन्टेना, तडित चालक / निरोधक सीढियाँ, गुमटी,उँची पानी की टंकिया अथवा किसी भी प्रकार की सामुग्री / वस्तुएँ और अन्य सहायक उपकरण नहीं लगाए जाएगें ।

विमानक्षेत्र की 8 किलोमीटर की परिधि में तेल या बिजली से चलने वाली भट्टी का ही प्रयोग करना अनिवार्य है ।

... 2/-

यह प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से 5 (Five) वर्ष की अवधि तक विधिमान्य होगा । यदि भवन संरचना / चिमनी का निर्माण कार्य उपर्युक्त अवधि 5 (Five) वर्ष के भीतर पूरा नहीं किया गया तो आवेदक को अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई से पुनः अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा । जिस दिन भवन संरचना /चिमनी का निर्माण कार्य पूरा हो जाए, उसकी सूचना अध्यक्ष, भा. वि. प्रा. तथा क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई क्षेत्र को दी जाए ।

भवन निर्माण के दौरान या बाद में कार्यस्थल पर किसी भी समय प्रकाश, प्रकाशपुंज या रंगीन-प्रकाश आदि का प्रयोग न किया जाए इनके द्वारा वैमानिक भूमि प्रकाशों के साथ भ्रम पैदा हो सकता है ।

**	169.106	M AGL
+	5.544	M RL
	174.65	M AMSL

" The permissible top elevation/height includes height for superstructures (eg. Wireless, TV antennas, Mumties, Lift Machine room, Overhead water tanks, cooling towers etc) "

Day & Night markings with secondary power supply may be provided as per ICAO standard

This NOC is issued with the approval of competent authority, as per S.O. 84 (E).

दिनेश 8/4/14

(दिनेशन के .एस .)
प्रबंधक (ए.टीसी/अनापत्ति)
कृते महाप्रबंधक (विमान क्षेत्र)प.क्षे

प्रतिलिपीः- 1. कार्यपालक निदेशक (ए.टी एम),भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (रा.वि.प्रा.),राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली - 3.

2. The President,Mumbai International Airport Pvt., Ltd., CSI Airport, 1st floor, Terminal 1 B, Santacruz (E), Mumbai -99.
3. The Assistant Engineer (Survey) City, 'C' Ward ,Municipal Office 3rd floor, 10 Sheikh Hafizuddin Marg, Byculla (W), Mumbai -8.
4. The Asstt. General Manager, Vigilance.
5. गॉर्ड फाईल.

(दिनेशन के .एस .)
प्रबंधक (ए.टीसी/अनापत्ति)
कृते महाप्रबंधक (विमान क्षेत्र)प.क्षे

INWARD / OUTWARD
23/4/11 Time 2.10
In. No. 1097 Out. No. 1
Sign ...
SHREEPATI GROUP